



भारत सरकार

भारत
का
विधि
आयोग



भारत में सिविल विवाह विधि - कतिपय विरोधों को
दूर करने के लिए प्रस्ताव ।

रिपोर्ट सं. 212

अक्टूबर, 2008



भारत का विधि आयोग (रिपोर्ट सं. 212)

भारत में सिविल विवाह विधि - कतिपय विरोधों को दूर करने
के लिए प्रस्ताव ।

केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री, विधि और न्याय मंत्रालय,
भारत सरकार को डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन्, अध्यक्ष,
भारत का विधि आयोग द्वारा 17 अक्टूबर, 2008 को अग्रेषित
किया गया ।

18वें विधि आयोग का 1 सितंबर, 2006 से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली के तारीख 16 अक्टूबर, 2006 के आदेश सं. ए-45012/1/2006-प्रशा.।।। (वि.का.) द्वारा गठन किया गया था ।

विधि आयोग अध्यक्ष, सदस्य-सचिव, एक पूर्णकालिक सदस्य और 7 अंशकालिक सदस्यों से मिलकर बना है ।

अध्यक्ष

माननीय डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन्

सदस्य-सचिव

डा. ब्रह्म ए. अग्रवाल

पूर्णकालिक सदस्य

प्रो. डा. ताहिर महमूद

अंशकालिक सदस्य

डा. (श्रीमती) देविन्दर कुमारी रहेजा

डा. के. एन. चंद्रशेखरन पिल्लै

प्रो. (श्रीमती) लक्ष्मी जमभोलकर

श्रीमती कीर्ति सिंह

श्री न्यायमूर्ति आई. वेंकटनारायण

श्री ओ. पी. शर्मा

डा. (श्रीमती) श्यामल्हा पप्पू

विधि आयोग भारतीय विधि संस्थान भवन,
दूसरी मंजिल, भगवान दास रोड,
नई दिल्ली - 110 001 में अवस्थित है

विधि आयोग कर्मचारिवृंद

सदस्य - सचिव

डा. ब्रह्म ए. अग्रवाल

अनुसंधान कर्मचारिवृंद

श्री सुशील कुमार	: संयुक्त सचिव एवं विधि अधिकारी
श्रीमती पवन शर्मा	: अपर विधि अधिकारी
श्री जे. टी. सुलक्षण राव	: अपर विधि अधिकारी
श्री ए. के. उपाध्याय	: उप विधि अधिकारी
डा. वी. के. सिंह	: सहायक विधि सलाहकार

प्रशासन कर्मचारिवृंद

श्री सुशील कुमार	: संयुक्त सचिव एवं विधि अधिकारी
श्री डी. चौधरी	: अवर सचिव
श्री एस. के. बसु	: अनुभाग अधिकारी
श्रीमती रजनी शर्मा	: सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी

इस रिपोर्ट का पाठ इंटरनेट पर <http://www.lawcommissionofindia.nic.in> पर उपलब्ध है

© भारत सरकार
भारत का विधि आयोग

इस दस्तावेज का पाठ (सरकारी चिह्नों को छोड़कर) किसी रूप विधान में या किसी माध्यम से निःशुल्क प्रत्युत्पादित किया जा सकता है परंतु यह कि उसको शुद्ध रूप से प्रत्युत्पादित किया जाए और उसका भ्रामक संदर्भ में उपयोग न किया जाए । इस सामग्री को सरकार के प्रतिलिप्यधिकार के रूप में अभिस्वीकार किया जाना चाहिए और दस्तावेज का नाम विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए ।

इस रिपोर्ट से संबंधित किसी पूछताछ के लिए सदस्य-सचिव को संबोधित किया जाना चाहिए और उसे या तो डाक द्वारा भारत का विधि आयोग, दूसरी मंजिल, भारतीय विधि संस्थान भवन, भगवान दास रोड, नई दिल्ली - 110 001, भारत को भेजा जाना चाहिए या ई-मेल द्वारा : lci-dla@nic.in को भेजा जाना चाहिए ।

डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन्
(भूतपूर्व न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय)
अध्यक्ष, भारत का विधि आयोग

भा. वि. सं. भवन (दूसरा तल),
भगवान दास रोड,
नई दिल्ली-110001
टेली. : 91-11-23384475
फैक्स : 91-11-23383564

अ.शा.पत्र सं. 6(3)133/2008-वि.आ.(वि.अ.)

17 अक्टूबर, 2008

प्रिय डा. भारद्वाज जी

विषय : भारत में सिविल विवाह विधि - कतिपय विरोधों को दूर करने के लिए प्रस्ताव ।

उपर्युक्त विषय पर भारत के विधि आयोग की 212वीं रिपोर्ट इसके साथ अग्रेषित करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है ।

यह विषय विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और विदेशीय विवाह अधिनियम, 1969 का संशोधन करने के लिए जोरदार आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्वप्रेरणा से उठाया गया है । भारत में और विदेशों में ऐसे अनगिनत विवाह होते हैं, जो विभिन्न स्वीय विधियों के क्षेत्र के बाहर हैं और साथ ही उन्हें सिविल विवाहों की साधारण और सामान्य विधि द्वारा भी शासित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे उनके अधीन औपचारिक रूप से अनुष्ठापित या रजिस्टर नहीं किए जाते हैं । यद्यपि ये अधिनियमितियां भारत में सभी समुदायों के लिए समान रूप से तात्पर्यित हैं, फिर भी उनमें कुछ ऐसे उपबंध हैं जो कतिपय समुदायों के व्यक्तियों द्वारा उनका लाभ उठाए जाने से उन्हें रोकते हैं । हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के लिए, जो इन चारों समुदायों के भीतर विवाह करते हैं, विशेष विवाह अधिनियम, 1954, हिंदू विवाह अधिनियम का विकल्प है । मुसलमानों के पास भी उनकी असंहिताबद्ध स्वीय विधि और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के

बीच विकल्प है किंतु ऐसे विवाह के लिए जहां दोनों पक्षकार क्रिश्चियन हैं विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की उपलब्धता का प्रश्न अनसुलझा रह गया है ।

ऐसी विभिन्न स्वीय विधियों के, जो भारत में समान रूप से मान्यता प्राप्त हैं, विरोधों को ध्यान में रखते हुए, यह उचित होगा कि सभी अन्तरधार्मिक विवाहों से (सिवाय उनके जो हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन समुदायों के भीतर होते हैं) यह अपेक्षा की जाए कि वे केवल विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन अनुष्ठापित किए जाएं । यदि ऐसा विवाह, किसी अन्य विधि के अधीन अनुष्ठापित किया गया हो तो भी विवाह विषयक वादों और उपचारों के प्रयोजन के लिए विशेष विवाह अधिनियम, 1954 को उनको लागू किया जा सकता है । ऐसा एक कदम भारत में सभी अन्तरधार्मिक विवाहों को एकरूप विधि के अधीन ले आएगा और ऐसा करना समान सिविल संहिता से संबंधित भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में अंतरनिहित सिद्धांत के अनुरूप होगा ।

सिविल विवाहों और उत्तराधिकार को लागू विधि के बीच वर्तमान कड़ी विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन किसी सिविल विवाह के विकल्प का चयन करने के लिए कतिपय समुदायों को रोकती है या निरुत्साहित करती है क्योंकि ऐसा करना उन्हें उत्तराधिकार की उनकी विधियों से वंचित कर देता है । मुसलमान और पारसी उत्तराधिकार की अपनी स्वीय विधियों को अत्यधिक महत्व देते हैं और वे विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का उपयोग नहीं करते हैं । इस बात का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता है कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में किसी उत्तराधिकार संबंधी विधि के बारे में क्यों ऐसा कोई उपबंध होना चाहिए, जिसे सिविल विवाहों की दशा में लागू किया जाए ।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, विधि आयोग ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और विदेशीय विवाह अधिनियम, 1969 दोनों में, कतिपय संशोधनों का सुझाव दिया है जिससे कि उनके उपबंध सभी भारतीय समुदायों के अधिकांश विवाहों को समान रूप से उपलब्ध हों । यदि इसे स्वीकार किया गया और कार्यान्वित किया गया तो ये सिफारिशें सिविल विवाहों को लोकप्रिय बनाने में सुदूर तक जाएंगी ।

प्रो. (डा.) ताहिर महमूद, पूर्णकालिक सदस्य, द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार करने में दिए गए व्यापक योगदान के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ ।

सादर

भवदीय,

ह०

(डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन)

डा. एच. आर. भारद्वाज,
केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री,
भारत सरकार,
विधि और न्याय मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली - 110001

विषय-वस्तु

अध्याय

पृष्ठ सं.

अध्याय - I : प्रस्तावना

अध्याय - II : विशेष विवाह अधिनियम, 1954

क. पुराना विशेष विवाह अधिनियम, 1872

ख. नया विशेष विवाह अधिनियम, 1954

ग. अंतरधार्मिक सिविल विवाह

अध्याय - III : विदेशीय विवाह अधिनियम, 1969

क. नये विवाहों का अनुष्ठापन

ख. विद्यमान विवाहों का रजिस्ट्रीकरण

अध्याय - IV : विवाह में प्रतिषिद्ध कोटियां

क. विशेष विवाह अधिनियम, 1872

ख. विशेष विवाह अधिनियम, 1954

ग. विदेशीय विवाह अधिनियम, 1969

अध्याय - V : उत्तराधिकार की लागू विधि

क. विशेष विवाह अधिनियम, 1872 के अधीन

ख. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन

ग. 1976 के संशोधन का प्रभाव

घ. विदेशीय विवाह अधिनियम, 1969 के अधीन

अध्याय - VI : सिफारिशें

अध्याय - I

प्रस्तावना

भारत में विद्यमान विधि प्रणाली के अधीन नागरिकों को एक तरफ उनकी अपनी धर्म - आधारित और समुदाय - विनिर्दिष्ट विवाह संबंधी विधियों और दूसरी तरफ सिविल विवाहों की साधारण और सामान्य विधि के बीच विकल्प प्राप्त है। इन प्रवर्गों में से प्रथम की विधियों को संक्षेप में "स्वीय विधि" अभिव्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है, जबकि पश्चात्पूर्ती विधि निम्नलिखित दो अधिनियमितियों में पाई जाती है :

(i) विशेष विवाह अधिनियम, 1954 ; और

(ii) विदेशीय विवाह अधिनियम, 1969 ।

इन अधिनियमों में से पहली उनके लिए तात्पर्यित है, जो देश के भीतर विवाह करते हैं और पश्चात्पूर्ती उन भारतीय नागरिकों के लिए है, जो विदेश में विवाह कर सकते हैं ।

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 किसी आशयित विवाह के पक्षकारों के धर्म से संबंधित नहीं है । कोई व्यक्ति, चाहे उसका कोई भी धर्म हो, इसके उपबंधों के अधीन या तो अपने समुदाय के भीतर या अपने से भिन्न किसी अन्य समुदाय के भीतर विवाह कर सकता है परंतु यह कि किसी भी दशा में आशयित विवाह इस अधिनियम में अधिकथित विवाह के लिए शर्तों के अनुसार हो (धारा 4) ।

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 उस सुविधा के लिए भी उपबंध करता है जो विद्यमान धार्मिक विवाह को इसके उपबंधों के अधीन उसका रजिस्ट्रीकरण कराके सिविल विवाह में परिवर्तित कर सकती है, परंतु यह तब जबकि वह इस अधिनियम के अधीन अधिकथित विवाह के लिए शर्त के अनुसार हो (धारा 15) ।

यह अधिनियम विवाह अधिकारियों की नियुक्ति के लिए उपबंध करता है जो किसी आशयित विवाह को अनुष्ठापित भी कर सकते हैं और किसी अन्य विधि द्वारा शासित पूर्व - विद्यमान विवाह को रजिस्टर भी कर सकते हैं (धारा 3) ।

विदेशीय विवाह अधिनियम, 1969 देश के बाहर भारतीय नागरिक द्वारा दूसरे नागरिक के साथ या किसी विदेशी के साथ सिविल विवाहों के अनुष्ठापन को सुकर बनाता है । यह अधिनियम किसी आशयित विवाह के पक्षकारों के धर्म से भी संबंधित नहीं है ; कोई भी व्यक्ति इसके उपबंधों के अधीन अपने समुदाय के भीतर या किसी भिन्न समुदाय में विवाह कर सकता है ।

इसके प्रयोजनों की पूर्ति के लिए विदेशीय विवाह अधिनियम केंद्रीय सरकार को विदेश में सभी राजनयिक मिशनों में विवाह अधिकारियों को पदाभिहित करने के लिए सशक्त करता है ।

ऐसे अनेक विवाह भारत में होते हैं, जो विभिन्न स्वीय विधियों के क्षेत्र के बाहर हैं किंतु उन्हें विशेष विवाह अधिनियम द्वारा या तो इस कारण से कि उन्हें इसके अधीन औपचारिक रूप से अनुष्ठापित या रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है, शासित नहीं किया जा सकता । अतः यह प्रश्न कि कौन सी विधि ऐसे विवाहों को लागू होगी अनसुलझा रह जाता है ।

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और विदेशीय विवाह अधिनियम, 1969 दोनों सभी भारतीय समुदायों के लिए समान रूप से तात्पर्यित हैं। तथापि उनमें कुछ ऐसे उपबंध हैं जो कतिपय समुदायों के सदस्यों को उन उपबंधों का लाभ उठाने से रोकते हैं।

इन चुनौतियों को दूर करने के लिए वर्तमान रिपोर्ट विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और विदेशीय विवाह अधिनियम, 1969, दोनों में, कतिपय संशोधन करने का सुझाव देना चाहती है। इन सुझावों का प्रयोजन दोनों अधिनियमों को उस संख्या से अधिक संख्या में, जिसको वे इस समय उपलब्ध हैं, विवाहों के लिए उपलब्ध कराना और भारत में सभी समुदायों के लिए व्यापक रूप से उन्हें स्वीकार्य बनाना है।

अध्याय - II

विशेष विवाह अधिनियम, 1954

क. पुराना विशेष विवाह अधिनियम, 1872

भारत में सिविल विवाहों से संबंधित प्रथम विधि विशेष विवाह अधिनियम, 1872 था, जिसे ब्रिटिश शासन के दौरान स्वतंत्रतापूर्व युग के प्रथम विधि आयोग की सिफारिश पर अधिनियमित किया गया था। प्रारंभ में यह एक वैकल्पिक विधि के रूप में था, जिसे केवल उन लोगों को उपलब्ध कराया गया था, जो भारत की विभिन्न धार्मिक परंपराओं में से किसी को नहीं मानते थे। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी सभी इसके क्षेत्र के बाहर थे। अतः वे व्यक्ति जो इन समुदायों में से किसी से संबंधित थे किंतु इस अधिनियम के अधीन विवाह करना चाहते थे, उन्हें उस धर्म का, जो भी हो जिसे वे अपना रहे थे, त्याग करना पड़ता था। इस अधिनियम का मुख्य प्रयोजन अंतरधार्मिक विवाहों को सुकर बनाना था।

विशेष विवाह अधिनियम, 1872 में विवाह के विघटन या अकृतता के लिए कोई उपबंध नहीं था। इन विवाह संबंधी उपचारों के लिए उसने केवल भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 को उसके द्वारा शासित विवाहों के लिए लागू किया था।

1922 में विशेष विवाह अधिनियम, 1872 को संशोधित किया गया था जिससे कि उसे हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और जैनों को अपने धर्म का त्याग किए बिना इन चार समुदायों के भीतर विवाह करने के लिए उपलब्ध कराया जा सके। इस प्रकार संशोधित रूप में यह अधिनियम स्वतंत्रता के पश्चात् तक प्रवृत्त रहा।

ख. नया विशेष विवाह अधिनियम, 1954

1954 में 1872 के प्रथम विशेष विवाह अधिनियम को समान नाम वाली एक नई विधि द्वारा निरसित किया गया था और प्रतिस्थापित किया गया था । यह एक वैकल्पिक विधि है जो विभिन्न स्वीय विधियों में से प्रत्येक के लिए एक सा विकल्प है जो सभी नागरिकों को उन सभी क्षेत्रों में, जहां वह प्रवृत्त है, उपलब्ध है । किसी आशयित विवाह के पक्षकारों का धर्म इस अधिनियम के अधीन कोई अर्थ नहीं रखता है । इसके उपबंधों के अधीन कोई व्यक्ति अपने समुदाय के भीतर और बाहर कहीं भी शादी कर सकता है ।

विशेष विवाह अधिनियम स्वयं या स्वतः रूप से किसी विवाह को लागू नहीं होता है । उसे स्वेच्छया किसी आशयित विवाह के पक्षकारों द्वारा अपनी स्वीय विधि के ऊपर अधिमान देते हुए स्वीकार किया जा सकता है । इसमें विवाह-विच्छेद, अकृतता और अन्य विवाह विषयक वादों से संबंधित व्यापक उपबंध अंतर्विष्ट हैं और यह 1872 के प्रथम विशेष विवाह अधिनियम के असमान विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 को इसक उपबंधों द्वारा शासित विवाहों को लागू नहीं करता है ।

हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के लिए, जो इन चार समुदायों के भीतर विवाह करते हैं, विशेष विवाह अधिनियम, 1954, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 का एक विकल्प है । ऐसे मुसलमान को जो दूसरे मुसलमान से विवाह कर रहा है, अपनी असंहिताबद्ध स्वीय विधि और विशेष विवाह अधिनियम के बीच विकल्प प्राप्त है ।

तथापि क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 कहता है कि सभी क्रिश्चियन विवाह उसके अपने उपबंधों के अधीन अनुष्ठापित किए जाएंगे (धारा 4) । अतः किसी ऐसे विवाह के लिए, जिसमें दोनों पक्षकार क्रिश्चियन हैं विशेष विवाह अधिनियम की

उपलब्धता का प्रश्न अनसुलझा रह जाता है ।

ग. अंतरधार्मिक सिविल विवाह

विशेष विवाह अधिनियम अंतरधार्मिक विवाहों के लिए भी उपलब्ध है और यह इस संबंध में किसी समुदाय को इसके उपबंधों से छूट नहीं देता है ।

हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों को लागू हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 उन्हें इन चार समुदायों से बाहर विवाह करने का अनुज्ञा नहीं देता है । अतः इन समुदायों का कोई सदस्य यदि किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करने की इच्छा करता है जो इन समुदायों से संबंधित नहीं है, तो उसके लिए उपलब्ध केवल विकल्प विशेष विवाह अधिनियम, 1954 ही होगा ।

मुस्लिम विधि कतिपय अंतर-धार्मिक विवाहों को उसके अपने उपबंधों द्वारा शासित किए जाने की अनुज्ञा देती है । इस विधि के अधीन कोई व्यक्ति ऐसे समुदायों की स्त्री से विवाह कर सकता है जिसके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि वह अहले-किताब (किताब की जनता) है - ऐसी अभिव्यक्ति जिसके अंतर्गत क्रिश्चियन और यहूदी हैं और जिसके अंतर्गत किसी अन्य एकेश्वरवादी धर्म के अनुयायी हो सकते हैं । चूंकि मुस्लिम विधि केवल अंतरधार्मिक विवाह की अनुज्ञा देती है और यह अपेक्षा नहीं करती कि ऐसा कोई विवाह उसके अपने उपबंधों के अधीन ही होना चाहिए, वह विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के विरोध में नहीं आती है ।

भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 कहता है कि क्रिश्चियन - क्रिश्चियन विवाहों से पृथक किसी क्रिश्चियन का किसी गैर-क्रिश्चियन के साथ विवाह भी इस अधिनियम के अधीन ही अनुष्ठापित किया जाना चाहिए (धारा 4) ।

दूसरी तरफ विशेष विवाह अधिनियम कहता है कि कोई भी दो व्यक्ति (उनका धर्म कोई भी हो) उसके उपबंधों के अनुसार विवाह कर सकते हैं । इस प्रकार किसी क्रिश्चियन के किसी गैर-क्रिश्चियन के साथ विवाह के संबंध में स्थिति के बारे में विधि का विरोध है ।

1872 के प्रथम विशेष विवाह अधिनियम के असमान 1954 के अधिनियम में विवाह-विच्छेद, अकृतता और अन्य विवाह विषयक उपचारों के संबंध में उसके अपने व्यापक उपबंध अंतर्विष्ट हैं । अतः भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 उसके द्वारा शासित विवाहों को लागू नहीं होगा । तथापि भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम कहता है कि वह लागू होगा चाहे केवल एक पक्षकार क्रिश्चियन हो । यह दूसरी विधि - विरोधी स्थिति है ।

विभिन्न स्वीय विधियों के, जो भारत में समान रूप से मान्यता प्राप्त हैं, विरोधों को दृष्टि में रखते हुए यह उचित होगा कि सभी अंतर-धार्मिक विवाहों से (सिवाय उनके जो हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन समुदायों के भीतर होते हैं) यह अपेक्षा की जाए कि वे केवल विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन किए जाएं । तथापि यदि ऐसा कोई विवाह किसी अन्य विधि के अधीन अनुष्ठापित किया जाता है तो विवाह विषयक वादों और उपचारों के लिए विशेष विवाह अधिनियम उसको लागू किया जा सकता है । ऐसा कोई कदम इस देश में सभी अंतर-धार्मिक विवाहों को समान विधि के अधीन ला देगा । यह समान सिविल संहिता से संबंधित भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में अंतर्निहित सिद्धांत के अनुरूप होगा ।

अधिनियम के शीर्षक में 'विशेष' शब्द पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है । 1872 में जब सिविल विवाहों की प्रथम विधि को अधिनियमित किया

गया था तब किसी गैर धार्मिक विवाह को 'विशेष' के रूप में माना जा सकता था क्योंकि ऐसे विवाह के पक्षकारों को अपने धर्म को त्यागना पड़ता था । धार्मिक कृत्यों द्वारा विवाह उस समय नियम था और कोई सिविल विवाह ही इसका एक अपवाद हो सकता था । अब 21वीं सदी में गैर धार्मिक सिविल विवाहों को 'विशेष' कहने का न्यायोचित कम ही है । ऐसी समान विधि को, जिसका किसी आशयित विवाह के पक्षकार अपने किसी भी धर्म या स्वीय विधि के होते हुए भी चयन कर सकते हैं, विवाह के 'विशेष' रूप के लिए उपबंध करने वाली विधि के रूप में वर्णित किए जाने की आवश्यकता नहीं है । ऐसा करना विवाहों को अप्रायित और असाधारण के रूप में प्रस्तुत करती है और साधारण जनता के मस्तिष्क में भ्रम उत्पन्न करता है ।

अध्याय - III

विदेशीय विवाह अधिनियम, 1969

क. नये विवाहों का अनुष्ठापन

विदेशीय विवाह अधिनियम प्रथम बार ब्रिटिश शासन के दौरान 1903 में भारत में अधिनियमित किया गया था । यह 1969 तक प्रवृत्त रहा, जब एक नये विदेशीय विवाह अधिनियम को नए विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के नमूने के आधार पर अधिनियमित किया गया था ।

इस अधिनियम के अधीन किसी विवाह को, विदेश में दो भारतीयों या एक भारतीय और एक विदेशी के बीच किसी भी दशा में पक्षकारों के धर्म और स्वीय विधि को ध्यान में रखे बिना, यदि इस अधिनियम में अधिकथित विवाह की शर्तें पूरी हो जाती हैं तो, अनुष्ठापित किया जा सकता है (धारा 4) ।

भारत सरकार को इस अधिनियम द्वारा विदेशों में अपने राजनयिक और कौंसलीय ऑफिसरों में से उन देशों में विवाह अधिकारी नियुक्त करने के लिए सशक्त किया गया है (धारा 3) ।

इस अधिनियम में विवाह-विच्छेद, अकृतता या किसी अन्य विवाह विषयक उपचार या अनुतोष से संबंधित कोई उपबंध नहीं है । इस प्रयोजन के लिए यह अधिनियम विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के सुसंगत उपबंधों को, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, उसके उपबंधों के अधीन अनुष्ठापित या रजिस्ट्रीकृत सभी विवाहों को भी लागू करता है (धारा 18) ।

यह अधिनियम पूर्ण रूप से वैकल्पिक है और उसके उपबंध विदेश में अनुष्ठापित ऐसे किसी विवाह की विधिमान्यता पर, जो उसके उपबंधों के अधीन से अन्यथा अनुष्ठापित किया गया हो, प्रतिकूल रूप से प्रभाव नहीं डालते हैं (धारा 27) ।

ख. विद्यमान विवाहों का रजिस्ट्रीकरण

किसी अन्य विधि के अधीन जिसके अंतर्गत उस देश की स्थानीय विधि भी है, विदेश में अनुष्ठापित किसी विवाह को विदेशीय विवाह अधिनियम, 1969 के अधीन रजिस्टर किया जा सकता है यदि वह इस अधिनियम में अधिकथित विवाहों की विधिमान्यता के लिए शर्तों को पूरा करता हो [धारा 17(1) से (3) तक] ।

इस अधिनियम के अधीन - पूर्व - विद्यमान विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया वही है जो नये विवाहों के अनुष्ठापन के लिए है ।

अध्याय - IV

विवाह में प्रतिषिद्ध कोटियां

क. विशेष विवाह अधिनियम, 1872

“विवाह में प्रतिषिद्ध कोटियां (डिग्रियां)” संकल्पना को कौटुंबिक विधि की सभी प्रणालियों द्वारा मान्यता प्राप्त है और साधारणतया प्रत्येक कौटुंबिक विधि की ऐसे नातेदारों की अपनी सूची है जिनके साथ कोई व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता है। विशेष विवाह अधिनियम, 1872 में कोई ऐसी सूची अंतर्विष्ट नहीं है और उसमें केवल यह अधिकथित है कि -

“पक्षकार एकदूसरे के साथ समरक्तता या विवाह संबंध की किसी ऐसी कोटि में संबंधित नहीं होने चाहिए जो किसी ऐसी विधि के अनुसार, जिसके अधीन उसमें से कोई है, उनके बीच विवाह को अवैध बनाता है।”

इस प्रकार किसी आशयित सिविल विवाह में विवाह संबंधी प्रतिषिद्ध कोटियों के संबंध में, जिन्हें विशेष विवाह अधिनियम, 1872 द्वारा विनियमित किया जाना था, पक्षकारों की स्वीय विधियाँ, सामान्य या विभिन्न, प्रवृत्त बनी रहीं।

ख. विशेष विवाह अधिनियम, 1954

नया विशेष विवाह अधिनियम, 1954 विवाह में प्रतिषिद्ध कोटियों के संबंध में स्थिति को पूर्ण रूप से परिवर्तित करता है। इस अधिनियम के अधीन अनुष्ठापित किए जाने वाले किसी आशयित सिविल विवाह के लिए शर्तों में से एक यह है कि “पक्षकारों में प्रतिषिद्ध कोटि की नातेदारी नहीं है” (धारा 4 (घ))। “प्रतिषिद्ध कोटि

की नातेदारी" अभिव्यक्ति को अधिनियम की धारा 2(ख) में "किसी पुरुष और प्रथम अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी की तथा किसी स्त्री और उक्त अनुसूची के भाग -II में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी की नातेदारी प्रतिषिद्ध कोटि की नातेदारी है" के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार प्रथम विशेष विवाह अधिनियम, 1872 के असमान यह अधिनियम विवाह में प्रतिषिद्ध कोटियों की, पुरुष और स्त्री के लिए पृथक, अपनी सूची निगमित करता है।

प्रतिषिद्ध कोटियों की दो सूचियों में से प्रत्येक में 37 प्रविष्टियां हैं। प्रत्येक सूची में प्रथम 33 प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट नातेदारी को सभी अन्य विधियों के अधीन, संहिताबद्ध और असंहिताबद्ध दोनों में, विवाह में प्रतिषिद्ध कोटियों के रूप में माना गया है। अतः यह प्रविष्टियां किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, सिविल विवाह का चयन करने से रोकती नहीं है। तथापि नीचे विनिर्दिष्ट दोनों सूचियों में अंतिम चार प्रविष्टियां कतिपय समुदायों के लिए समस्या उत्पन्न करती है।

(क) सूची -I (पुरुष के लिए)

- 34. पिता के भाई का पुत्र
- 35. पिता की बहिन का पुत्र
- 36. माता की बहिन का पुत्र
- 37. माता के भाई का पुत्र

(ख) सूची - II (स्त्रियों के लिए)

- 34. पिता के भाई की पुत्री
- 35. पिता की बहिन की पुत्री
- 36. माता की बहिन की पुत्री

37. माता के भाई की पुत्री

इस प्रकार सभी प्रथम कजिन - पिता की ओर से और माता की ओर से, समानान्तर और मिश्रित - विशेष विवाह अधिनियम द्वारा प्रतिषिद्ध विवाह संबंधी नातेदारी के प्रवर्ग में रखे गए हैं ।

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 विवाह में प्रतिषिद्ध कोटि के नियम के शिथिलीकरण के लिए उपबंध करता है । इस शर्त के बारे में कि किसी आशयित सिविल विवाह के पक्षकार विवाह की प्रतिषिद्ध कोटियों के भीतर नहीं होने चाहिए यह अधिनियम निम्नलिखित परंतुक को जोड़ता है :-

“परंतु जहां कम से कम एक पक्षकार को शासित करने वाली रूढ़ि उनमें विवाह अनुज्ञात करे वहां ऐसा विवाह, उनमें प्रतिषिद्ध कोटि की नातेदारी होते हुए भी अनुष्ठापित किया जा सकेगा (धारा 4 का खंड (घ)) ।

“रूढ़ि” शब्द को, जैसा उसका इस परंतुक में प्रयोग किया गया है, अधिनियम द्वारा निम्नलिखित पद में परिभाषित किया गया है :-

“इस धारा में किसी जनजाति, समुदाय समूह या कुटुंब के किसी व्यक्ति के संबंध में “रूढ़ि” से कोई ऐसा नियम अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार उस जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के सदस्यों को लागू नियम के रूप में, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे” (धारा 4 का स्पष्टीकरण) ।

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन प्रथम कजिन की स्थिति हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुरूप है क्योंकि वह भी किसी प्रथम कजिन के साथ

विवाह की अनुज्ञा नहीं देता है। रूढ़ि के आधार पर प्रतिषिद्ध कोटि का शिथिलीकरण उस अधिनियम के अधीन भी अनुज्ञेय है। किंतु वह इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा किसी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित किए जाने की अपेक्षा नहीं करता है।

मुस्लिम विधि में सभी प्रथम कजिन, पिता और माता दोनों की ओर से, विवाह में प्रतिषिद्ध कोटियों के क्षेत्र से बाहर है। यहूदी और बहाई समुदायों की स्वीय विधि भी किसी कजिन के साथ विवाह की अनुज्ञा देती है। क्रिश्चियन विधि के अधीन किसी कजिन के साथ विवाह की अनुज्ञा चर्च द्वारा किसी विशेष व्यवस्था द्वारा दी जा सकती है। इसमें संदेह है कि विशेष विवाह अधिनियम में परिभाषित रूप में "रूढ़ि" अभिव्यक्ति के अंतर्गत पक्षकारों की स्वीय विधि भी है और यदि वह है भी तो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से उसे मान्यता देने की शर्त को पूरा किया जाना होगा।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर यहां ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है यह है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अधीन दूसरे कजिन (पिता के पहले कजिन के बच्चे) के साथ विवाह को भी "सपिंड" नातेदारी के रूप में ज्ञात निर्बंधन के कारण अनुज्ञा नहीं है [धारा 5(v)]। तथापि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 विवाह में प्रतिषिद्ध कोटियों की अपनी दोनों सूचियों में किसी दूसरे कजिन को स्थान नहीं देता है।

इन विधिक उपबंधों का परिणाम यह है कि यदि कोई हिंदू, सिख, बौद्ध या जैन किसी दूसरे कजिन से विवाह करना चाहता है तो वह विशेष विवाह अधिनियम के अधीन ऐसा कर सकता है, यद्यपि उसकी स्वीय विधि (जो अब हिंदू विवाह अधिनियम, 1959 में अंतर्विष्ट है) इसकी अनुज्ञा नहीं देती है। इसके विपरीत, यदि

कोई मुसलमान किसी पहले कजिन से विवाह करना चाहता है तो वह विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन ऐसा नहीं कर सकता है यद्यपि मुस्लिम स्वीय विधि ऐसे विवाह की बिना किसी शर्त के अनुज्ञा देती है। उन सभी अन्य समुदायों के सदस्य, जिनकी विधि प्रथम कजिन के साथ विवाह की अनुज्ञा देती है या अनुज्ञा दे सकती है, उसी स्थिति में हैं जिसमें मुसलमान हैं। विभिन्न भारतीय समुदायों के बीच इस विधिक स्थिति में अंतरनिहित विभेद अत्यधिक स्पष्ट है और उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

ग. विदेशीय विवाह अधिनियम, 1969

विदेशीय विवाह अधिनियम, 1969 कहता है कि उसके अधीन अनुष्ठापित किए जाने के लिए आशयित किसी विवाह के पक्षकार वैवाहिक नातेदारी की प्रतिषिद्ध कोटियों के भीतर नहीं होने चाहिए। तथापि वह किसी ऐसा प्रतिषिद्ध कोटियों की किसी सूची को निगमित नहीं करता है और केवल यह कहता है कि अभिव्यक्ति “प्रतिषिद्ध कोटि की नातेदारी” का जैसा उसके अधीन उसका प्रयोग किया गया है, वही अर्थ होगा, जो उसका विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन है। अतः विदेशीय विवाह अधिनियम के अधीन भी सभी प्रथम कजिनों को विवाह की प्रतिषिद्ध कोटियों के भीतर समझा जाता है।

तथापि विदेशीय विवाह अधिनियम रूढ़ि और पक्षकारों की स्वीय विधि, दोनों को, विवाह में प्रतिषिद्ध कोटियों के नियम के शिथिलीकरण के लिए आधारों के रूप में विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित करता है। यह भी कि इस उपबंध के अधीन सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से इस संबंध में स्वीय विधि या रूढ़ि के नियम की मान्यता के लिए कोई शर्त नहीं है।

अध्याय - V

उत्तराधिकार की लागू विधि

क. विशेष विवाह अधिनियम, 1872 के अधीन

जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रथम विशेष विवाह अधिनियम, 1872 का प्रारंभ में केवल उनके द्वारा उपयोग किया जा सकता था जो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन या पारसी होने का दावा नहीं करते थे। इससे इस बारे में एक प्रश्न सामने आया कि उत्तराधिकार की कौन सी विधि ऐसे विवाह के पक्षकारों और उनकी संतानों को लागू होगी। इस विधि के अधिनियमन के सात वर्ष पूर्व उत्तराधिकार की एक साधारण विधि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1865 के नाम से अधिनियमित की गई थी। यह अधिनियम उसके अधिनियमन के समय क्रिश्चियनों और यहूदियों को लागू थी किंतु हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, बौद्धों, जैनों और परसियों को लागू नहीं थी। अब विशेष विवाह अधिनियम, 1872 में यह अधिकथित किया गया था कि -

- (i) कोई हिंदू, सिख, बौद्ध या जैन, जो किसी संयुक्त कुटुंब का सदस्य है, इस अधिनियम के अधीन यदि शादी करता है तो यह अधिनियम ऐसे कुटुंब से उसके पृथक्करण को प्रभावित करेगा।
- (ii) किसी ऐसे व्यक्ति की और ऐसे विवाह की किसी संतान की संपत्ति का उत्तराधिकार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1865 द्वारा शासित होगा।
- (iii) जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम, 1850 का संरक्षण विशेष विवाह

अधिनियम, 1872 के अधीन विवाह करने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और जैनों को उपलब्ध होगा ।

- (iv) यदि कोई हिंदू, सिख, बौद्ध या जैन जो विशेष विवाह अधिनियम, 1872 के अधीन विवाह करता है, अपने माता-पिता का एक मात्र पुत्र है, तो उसका पिता किसी प्राकृतिक पुत्र की उपस्थिति में किसी पुत्र का दत्तक ग्रहण करने संबंधी हिंदू विधि में प्रतिषेध के होते हुए भी किसी पुत्र का दत्तक ग्रहण कर सकेगा ।

1925 में सभी उत्तराधिकार संबंधी विधियां, जो उस समय विद्यमान थीं, नये और व्यापक भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में निगमित की गई थीं । इस समेकित विधि में विलय की गई विधियों में पुराना 1865 का भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, पारसी उत्तराधिकार अधिनियम, 1865 और हिंदू बिल अधिनियम, 1870 थे । इसमें पुराने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1865 का उत्तराधिकार संबंधी अध्याय, नये अधिनियम के भाग- V का अध्याय-II और पारसी उत्तराधिकार अधिनियम अध्याय -III हो गया । हिंदू बिल अधिनियम, 1870 के उपबंध नये अधिनियम की अनुसूची-III में निगमित कर दिए गए ।

1925 से विशेष विवाह अधिनियम, 1872 के अधीन भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1865 के प्रति निर्देश को नये भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग - V में अध्याय -II के प्रति निर्देश समझा जाना था ।

ख. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन सिविल विवाह के विकल्प का

चयन करने वाले किसी हिंदू, सिख, बौद्ध या जैन की दशा में संयुक्त कुटुंब से पृथक करने वाले उपबंध को प्रतिधारित किया गया था (धारा 19) । जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम, 1850 की उपलब्धता के लिए उपबंध का सिविल विवाह के लिए चयन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति तक विस्तार किया गया था (धारा 20) । उत्तराधिकार के बारे में अधिनियम की धारा 21 में निम्नलिखित रूप में उपबंध किया गया :

“भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) में कुछ समुदायों के सदस्यों को उसके लागू होने के संबंध में किन्हीं निर्बंधनों के होते हुए भी, किसी ऐसे व्यक्ति की संपत्ति का, जिसका विवाह इस अधिनियम के अधीन अनुष्ठापित हुआ हो, और ऐसे विवाह की संतान की संपत्ति का उत्तराधिकार उक्त अधिनियम के उपबंधों द्वारा विनियमित होगा और वह अधिनियम इस धारा के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार प्रभावी होगा मानो भाग 5 के अध्याय 3 (पारसी निर्वसीयतों के लिए विशेष नियम) का उससे लोप कर दिया गया हो ।”

यह उपबंध प्रत्येक को, जिस किसी ने सिविल विवाह के लिए विकल्प का चयन किया, चाहे समुदाय के भीतर या बाहर, समान रूप से लागू था । परिणामस्वरूप उत्तराधिकार की सभी स्वीय विधियां सिविल विवाहों के मामलों में लागू नहीं रह गई ।

ग. 1976 के संशोधन का प्रभाव

भारत के विधि आयोग की सिफारिश पर (59वीं रिपोर्ट, 1974), संसद ने विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 को अधिनियमित किया । इस अधिनियम ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में धारा 21-क को जोड़ा, जो यथा निम्नलिखित है :

“जहां किसी ऐसे व्यक्ति का, जो हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन धर्मावलंबी है, विवाह इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अनुष्ठापित होता है, जो हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन धर्मावलंबी है, वहां धारा 19 और धारा 21 लागू नहीं होगी और धारा 20 का वह भाग भी लागू नहीं होगा जिससे अयोग्यता सृजित होती है।”

अतः 1976 से सिविल विवाहों की दशा में उत्तराधिकार की स्थिति यथा निम्नलिखित है :

- (i) जहां किसी सिविल विवाह के दोनों पक्षकार हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन हैं वहां हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होगा ।
- (ii) जहां केवल एक पक्षकार हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन है और दूसरा पक्षकार किसी दूसरे धर्म से संबंधित है, वहां भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लागू होगा ।
- (iii) जहां कोई मुसलमान किसी सिविल विवाह के लिए, चाहे मुस्लिम समुदाय के भीतर या बाहर, विकल्प का चयन करता है, वहां भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लागू होगा ।
- (iv) जहां कोई पारसी किसी सिविल विवाह के लिए, चाहे अपने समुदाय के भीतर या बाहर, विकल्प का चयन करता है, वहां भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन साधारण उत्तराधिकार विधि लागू होगी - न कि पारसी उत्तराधिकार विधि, जो उस अधिनियम में निगमित की गई है ।

- (v) जहां कोई क्रिश्चियन किसी सिविल विवाह के लिए, चाहे क्रिश्चियन समुदाय के भीतर या बाहर, विकल्प का चयन करता है, वहां भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लागू होगा ।

इस प्रकार विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रभाव के अधीन सिविल विवाह के लिए विकल्प का चयन करने वाले भारत के नागरिकों को तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है : अर्थात्

- (क) हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन, जो इन चार समुदायों के भीतर विवाह करते हैं ;
- (ख) हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन, जो इन चार समुदायों के बाहर विवाह करते हैं ; और
- (ग) सभी अन्य नागरिक जो अपने-अपने समुदायों के भीतर या बाहर विवाह करते हैं ।

यह अयुक्तियुक्त वर्गीकरण प्रतीत होता है क्योंकि सभी स्वीय विधियों की देश में समान विधिक प्रास्थिति है ।

मुस्लिम और पारसी उत्तराधिकार की अपनी स्वीय विधियों को अत्यधिक महत्व देते हैं । उत्तराधिकार की मुस्लिम विधि सीधे पवित्र कुरान से ली गई है और इसलिए मुसलमानों का एक महत्वपूर्ण भाग इसका पालन करना चाहता है । यदि वे सिविल विवाह करते हैं तो इसको खोने की संभावना उन्हें बहुत रोकती है और उन्हें विशेष विवाह अधिनियम, 1954 से दूर रहने के लिए विवश करती है । पारसियों ने अपनी धर्म-आधारित उत्तराधिकार की विधि को पारसी उत्तराधिकार अधिनियम, 1865 के

रूप में संहिताबद्ध कराया था जिसे, उनकी मांग पर, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के नाम से ज्ञात नई समेकित विधि के अधीन भी परिरक्षित रखा गया था । इस कारण से कोई पारसी विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का प्रयोग नहीं करना चाहता है क्योंकि इससे वह उत्तराधिकार की अपनी विधि से वंचित हो जाएगा ।

इस बात का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 को सिविल विवाहों की दशा में लागू की जाने वाली उत्तराधिकार संबंधी विधि के बारे में क्यों कोई उपबंध करना चाहिए । विशेष विवाह अधिनियम, 1872 के अधीन सिविल विवाह के पक्षकारों को धर्म से स्वयं को अलग करना पड़ता था और इसलिए कोई समुदाय - विनिर्दिष्ट उत्तराधिकार की विधि किसी ऐसे मामले में लागू नहीं की जा सकी । चूंकि इससे एक रिक्तता हो जाती अतः भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1865 को उन्हें लागू करना अनिवार्य हो गया । किंतु नये विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन मामला ऐसा नहीं है, जिसके अधीन किसी सिविल विवाह की दशा में धर्म को त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः पक्षकारों की संपत्ति के लिए उत्तराधिकार उनकी अपनी-अपनी स्वीय विधियों द्वारा, चाहे वे एक ही समुदाय के हों या दो विभिन्न समुदायों के - विशेष रूप से क्योंकि इस देश में विवाहित युगल की संयुक्त संपत्ति की कोई संकल्पना नहीं है - शासित होता रहेगा ।

किसी व्यक्ति के लिए यह अवश्य संभव बनाया जा सकता है कि वह इस बात का होते हुए भी कि उसका विवाह कोई सिविल विवाह है या किसी स्वीय विधि द्वारा शासित कोई धार्मिक विवाह है, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के लिए विकल्प का चयन करे । किंतु सिविल विवाहों और उत्तराधिकार की लागू विधि के बीच वर्तमान कड़ी किसी प्रयोजन की पूर्ति नहीं करती । इसके विपरीत कतिपय

समुदायों के लिए यह सिविल विवाह के विकल्प का चयन करने के संबंध में गंभीर रूप से हतोत्साहित करने वाली और रोकने वाली है ।

घ. विदेशीय विवाह अधिनियम, 1969 के अधीन

संयुक्त कुटुंब प्रास्थिति, किसी सिविल विवाह के पक्षकारों के उत्तराधिकार संबंधी अधिकारों तथा पक्षकारों और उनके अवयस्क बालकों और उनके भावी वंशजों को लागू उत्तराधिकार संबंधी विधि से संबंधित विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में अंतर्विष्ट उपबंधों में से किसी को भी विदेशीय विवाह अधिनियम, 1969 में, जो इन मुद्दों पर शांत है, स्थान प्राप्त नहीं हुआ है ।

इस प्रकार विदेशीय विवाह अधिनियम, 1969 के अधीन किसी विवाह के अनुष्ठापन या रजिस्ट्रीकरण के होते हुए भी उनकी संतानें और भावी वंशज उसी उत्तराधिकार की विधि का विषय बने रहते हैं जो अन्यथा लागू होगी ।

अध्याय - VI

सिफारिशें

उपर्युक्त सभी को ध्यान में रखते हुए हम यह पाते हैं कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और विदेशीय विवाह अधिनियम, 1969 का संशोधन करने की जोरदार आवश्यकता है । इस आवश्यकता को संबोधित करने की दृष्टि से हम निम्नलिखित सिफारिशें करते हैं :-

1. "विशेष" शब्द को विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के नाम से हटा दिया जाए और इसे सामान्य रूप से "विवाह अधिनियम, 1954" या "विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1954" कहा जाए ।" सुझाव दिए गए परिवर्तन से यह वांछनीय भावना उत्पन्न होगी कि यह विवाह और विवाह-विच्छेद संबंधी भारत की साधारण विधि है और यह कि इसके उपबंधों के अधीन अनुष्ठापित किसी विवाह के बारे में कुछ भी "विशेष" नहीं है । वास्तव में समुदाय - विनिर्दिष्ट विधियों के अधीन अनुष्ठापित विवाह ऐसे विवाह हैं जिन्हें "विशेष" के रूप में माना जाना चाहिए ।
2. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में लागू होने वाले खंड में एक परंतुक जोड़ा जाए कि सभी अंतर-धार्मिक विवाह, उनको छोड़कर जो हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन समुदायों के भीतर होते हैं, चाहे इस अधिनियम के अधीन अनुष्ठापित या रजिस्ट्रीकृत किए गए हों या नहीं, इस अधिनियम द्वारा शासित होंगे ।

3. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में धारा 2(ख) में दी गई "प्रतिषिद्ध कोटि की नातेदारी" की परिभाषा और अधिनियम से संलग्न ऐसी नातेदारी को वर्णित करने वाली प्रथम अनुसूची का लोप किया जाए। इसका बजाए अधिनियम की धारा 4 में यह उपबंधित किया जाना चाहिए कि किसी आशयित सिविल विवाह के किसी मामले में विवाह में प्रतिषिद्ध कोटियों को पक्षकारों को अन्यथा लागू विवाह विधि (या विधियों) द्वारा विनियमित किया जाएगा।
4. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 4 के स्पष्टीकरण में उल्लिखित विवाह की प्रतिषिद्ध कोटियों से संबंधित रूढ़ि की मान्यता के लिए राजपत्र में अधिसूचना की अपेक्षा को हटा दिया जाए।
5. विवाह में प्रतिषिद्ध कोटियों के संबंध में वैसे ही उपबंध को (जैसे का उपर्युक्त पैरा 3 में सुझाव दिया गया है) विदेशीय विवाह अधिनियम, 1969 की धारा 4 में भी सम्मिलित किया जाए। उस धारा के खंड (घ) के परंतुक और उस अधिनियम की धारा 2 के खंड (क) को हटा दिया जाए।
6. उत्तराधिकार और संयुक्त कुटुंब के प्रति सभी निर्देशों को विशेष विवाह अधिनियम, 1954 से हटा दिया जाए और उत्तराधिकार तथा संयुक्त कुटुंब की सदस्यता के बारे में विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 19, धारा 20, धारा 21 और धारा 21(क) को निरसित किया जाए।
7. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 में एक उपबंध अंतःस्थापित

किया जाए कि कोई व्यक्ति, चाहे वह किसी भी समुदाय का हो, शपथपत्र पर एक घोषणा द्वारा या लिखित अथवा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित वसीयत द्वारा, इस अधिनियम के लागू किए जाने के लिए विकल्प का, उत्तराधिकार की उस विधि के स्थान पर जो उसको अन्यथा लागू है, चयन कर सकेगा ।

हमारी यह सुविचारित राय है कि ये सिफारिशें, यदि स्वीकार की गई और कार्यान्वित की गई तो ये सिविल विवाहों को लोकप्रिय बनाने में सुदूर तक जाएंगी और चूंकि सभी ऐसे विवाह एक ही विधि द्वारा शासित होंगे अतः यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 द्वारा परिकल्पित सिविल विधियों में एकरूपता के आदर्श को कार्य रूप देने की ओर सशक्त कदम होगा ।

ह०

(डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन्)

अध्यक्ष

ह०

(प्रा. (डा) ताहिर महमूद)

सदस्य

ह०

(डा. ब्रह्म ए. अग्रवाल)

सदस्य-सचिव